Email/Speed Post.

प्रेषक,

विकास नागर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाशीध
गौतमबुद्धनगर।

सेवा में

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वाराः श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः– पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक सं0 9792/ VIIb- 104/ Admin D Section Dated 19-07-2024 के सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक सादर अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं0 20/2024/सा–3–276/दस– 2024/301 (1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में निर्धारित प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना (O.P.S) में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं।

यह कि इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में दिनांक 31.07.2024 को अपना विकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति के प्रति–उत्तर में यह Fresh विकल्प पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रीमानजी से विनम्र निवेदन है कि उचित कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर!

दिनांकः 03.10.2024

भवदीय

(विकास नागर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

संलग्नकः–

शासनादेश सं0 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 व शासनादेश सं0 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301 (1) 2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024, के अनुक्रम में विकल्प पत्र।

Endorsment No.- 4598/I.....**Dated** : 03-10-2024

Forwarded to- Registrar General
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad

District Judge,
Gautam Budh Nagar
03-10-2024